

**Central Goods & Services Tax Act, 2017**

**Section 13 : Time of supply of services**

- (1) The liability to pay tax on services shall arise at the time of supply, as determined in accordance with the provisions of this section.
- (2) The time of supply of services shall be the earliest of the following dates, namely:—
  - (a) the date of issue of invoice by the supplier, if the invoice is issued within the period prescribed under <sup>1</sup>[\*\*\*\*] section 31 or the date of receipt of payment, whichever is earlier; or
  - (b) the date of provision of service, if the invoice is not issued within the period prescribed under <sup>2</sup>[\*\*\*\*] section 31 or the date of receipt of payment, whichever is earlier; or
  - (c) the date on which the recipient shows the receipt of services in his books of account, in a case where the provisions of clause (a) or clause (b) do not apply:

**Provided** that where the supplier of taxable service receives an amount upto one thousand rupees in excess of the amount indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such excess amount shall, at the option of the said supplier, be the date of issue of invoice relating to such excess amount.

**Explanation—** For the purposes of clauses (a) and (b) —

- (i) the supply shall be deemed to have been made to the extent it is covered by the invoice or, as the case may be, the payment;
  - (ii) “the date of receipt of payment” shall be the date on which the payment is entered in the books of account of the supplier or the date on which the payment is credited to his bank account, whichever is earlier.
- (3) In case of supplies in respect of which tax is paid or liable to be paid on reverse charge basis, the time of supply shall be the earlier of the following dates, namely:—
    - (a) the date of payment as entered in the books of account of the recipient or the date on which the payment is debited in his bank account, whichever is earlier; or
    - (b) the date immediately following sixty days from the date of issue of invoice or any other document, by whatever name called, in lieu thereof by the supplier:

---

1 The words "sub-section (2) of" omitted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 2/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019.

2 The words "sub-section (2) of" omitted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 2/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019.

**Central Goods & Services Tax Act, 2017**

**Provided that** where it is not possible to determine the time of supply under clause (a) or clause (b), the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient of supply:

**Provided further** that in case of supply by associated enterprises, where the supplier of service is located outside India, the time of supply shall be the date of entry in the books of account of the recipient of supply or the date of payment, whichever is earlier.

- (4) In case of supply of vouchers by a supplier, the time of supply shall be—
    - (a) the date of issue of voucher, if the supply is identifiable at that point; or
    - (b) the date of redemption of voucher, in all other cases.
  - (5) Where it is not possible to determine the time of supply under the provisions of sub-section (2) or sub-section (3) or sub-section (4), the time of supply shall—
    - (a) in a case where a periodical return has to be filed, be the date on which such return is to be filed; or
    - (b) in any other case, be the date on which the tax is paid.
  - (6) The time of supply to the extent it relates to an addition in the value of supply by way of interest, late fee or penalty for delayed payment of any consideration shall be the date on which the supplier receives such addition in value.
-

**धारा 13 : सेवाओं की पूर्ति का समय**

- (1) सेवाओं पर कर के संदाय का दायित्व, इस धारा के उपबंधों के अनुसार यथा अवधारित पूर्ति के समय पर उद्भूत होगा।
- (2) सेवाओं की पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों में से पूर्वतम तारीख होगा, अर्थात् :
  - (क) पूर्तिकार द्वारा बीजक जारी किए जाने की तारीख, यदि बीजक धारा 31 की <sup>1</sup>[.....] अधीन विहित अवधि के भीतर जारी किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या
  - (ख) सेवा उपलब्ध कराने की तारीख, यदि धारा 31 की <sup>2</sup>[.....] अधीन विहित अवधि के भीतर बीजक जारी नहीं किया जाता है या संदाय प्राप्त करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या
  - (ग) उस मामले में, जहां खंड (क) या खंड (ख) के उपबंध लागू नहीं होते हैं, वह तारीख, जिसको प्राप्तकर्ता अपनी लेखा-बहियों में सेवाओं की प्राप्ति दर्शित करता है :

**परन्तु** जहां कराधेय सेवा का पूर्तिकार, कर बीजक में उपदर्शित रकम से अधिक एक हजार रूपए तक की कोई रकम प्राप्त करता है, वहां पूर्ति का समय, ऐसी आधिक्य रकम के विस्तार तक, उक्त पूर्तिकार के विकल्प पर, ऐसी आधिक्य रकम से संबंधित बीजक जारी करने की तारीख होगी।

**स्पष्टीकरण**—खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए,—

- (i) पूर्ति को उस विस्तार तक किया गया समझा जाएगा, जिस तक वह, यथास्थिति, बीजक या संदाय के अंतर्गत आती है;
  - (ii) “संदाय प्राप्त करने की तारीख” वह तारीख होगी, जिसको संदाय की प्रविष्टि पूर्तिकार की लेखा-बहियों में की जाती है या वह तारीख होगी, जिसको उसके खाते में संदाय जमा किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो।
- (3) ऐसी पूर्तियों की दशा में, जिनके संबंध में, प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय किया जाता है या कर सदत्त किए जाने के लिए दायी है, पूर्ति का समय निम्नलिखित तारीखों में से पूर्वतर होगा, अर्थात् :—
    - (क) संदाय की तारीख, जो प्राप्तकर्ता की लेखा-बहियों में प्रविष्ट है या वह तारीख, जिसको उसके बैंक खाते से संदाय का विकलन किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो; या
    - (ख) पूर्तिकार द्वारा बीजक या उसके बजाय कोई अन्य दस्तावेज, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, जारी किए जाने की तारीख से साठ दिन के ठीक पश्चात्पूर्ति तारीख:

**परन्तु** जहां खंड (क) या खंड (ख) के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण संभव नहीं हैं, वहां पूर्ति का समय, पूर्ति के प्राप्तकर्ता की लेखा बहियों में प्रविष्टि की तारीख होगा:

---

1 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा “उपधारा (2) के” विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

2 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा “उपधारा (2) के” विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

**परन्तु** यह और कि सहयुक्त उद्यमों द्वारा पूर्ति की दशा में, जहां सेवा का पूर्तिकार भारत से बाहर स्थित है, वहां पूर्ति का समय, पूर्ति के प्राप्तिकर्ता की लेखा-बहियों में प्रविष्टि की तारीख या संदाय की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, होगा।

- (4) किसी पूर्तिकार द्वारा वाऊचर प्रदान किए जाने की दशा में पूर्ति का समय,—
- (क) वाऊचर जारी करने की तारीख होगा, यदि पूर्ति उस बिन्दु पर पहचान योग्य है; या
- (ख) अन्य सभी मामलों में, वाऊचर के मोचन की तारीख होगा।
- (5) जहां उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन पूर्ति के समय का अवधारण करना संभव नहीं है, वहां पूर्ति का समय,—
- (क) उस दशा में, जहां कोई आवधिक विवरणी फाइल की जानी है, वहां वह तारीख होगा, जिसको ऐसी विवरणी फाइल की जानी है; या
- (ख) किसी अन्य दशा में, वह तारीख होगा, जिसको कर का संदाय किया जाता है।
- (6) उस सीमा तक, जिस तक उसका संबंध किसी प्रतिफल के देर से संदाय के लिए ब्याज, विलंब फीस या शास्ति को पूर्ति के मूल्य में जोड़े जाने का है, पूर्ति का समय वह तारीख होगा, जिसको पूर्तिकार मूल्य के साथ ऐसा अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करता है।
-